बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
अधिसूचना

सं0सं0–03/स्था0रा0से0(नियुक्ति/पदस्थापन–69वीं)–172/2024– 908 (3) रा0, पटना–15, दिनांक– 27.09.2025

बिहार लोक सेवा आयोग की 69वीं सम्मिलित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर आयोग के पत्रांक–30/लो0से0आ0/गो0, दिनांक–23.12.2024 के माध्यम से बिहार राजस्व सेवा के अन्तर्गत नियुक्ति हेतु अनुशंसित निम्नलिखित अभ्यर्थी को अधोलिखित शर्तों के अधीन पे मैट्रिक्स लेवल–7 (₹44,900–₹1,42,400) में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर स्वीकृत अनुमान्य भत्तों के साथ परीक्ष्यमान राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष ग्रेड के पद पर औपबंधिक रूप से नियुक्त करते हुए उनके नाम के सामने स्तम्भ–9 में अंकित पद एवं स्थान पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है :–

क्र0	अनुक्रमांक	नाम, पिता/पति का नाम एवं स्थायी पता	गृह जिला	जन्म तिथि	मेधा क्रमांक	मूल आरक्षण कोटि	आयोग द्वारा आवंटित आरक्षण रोस्टर	नव पदस्थापन स्थान/कार्यालय
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	245199	**श्री मोनु कुमार,** पिता–सारंगधर विद्यार्थी, पता–ग्राम–सरारी, पो0–करंजा, थाना–नौबतपुर, जिला–पटना, राज्य–बिहार, पिन–801109	पटना	03-05-1991	501	07–आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	07–आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (FFD)	अंचल कार्यालय, मानपुर, गया।

2. (i). सभी नवनियुक्त अधिकारी जिला/अंचल में योगदान के समय फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र एवं स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं इसकी एक–एक छायाप्रति प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे।

(ii). सभी नवनियुक्त अधिकारी द्वारा जिला समाहर्त्ता/नव पदस्थापन कार्यालय में योगदान के समय फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र एवं असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के स्तर से निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं इसकी एक–एक छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

3. (i) नवनियुक्त अधिकारियों का पूर्ववृत्त सत्यापन (**Verification**) प्रतिवेदन प्राप्त होने की प्रत्याशा में यह नियुक्ति औपबंधिक रूप से की जाती है।

(ii) नवनियुक्त अधिकारियों द्वारा समर्पित शैक्षणिक प्रमाण–पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों के संबंध में कोई भिन्न सूचना पाये जाने एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन में प्रतिकूल तथ्य प्रतिवेदित होने की **स्थिति में संबंधित पदाधिकारी की सेवा नियमानुसार तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जाएगी एवं उनके** विरूद्ध आवश्यक विधि सम्मत कार्रवाई भी की जाएगी।

(iii) सभी नवनियुक्त अधिकारी सामान्य प्रशासन विभाग (तत्कालीन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) द्वारा निर्गत संकल्प सं0–1919 दिनांक–18.01.1976 के अनुपालन में दहेज न लेने/न **देने संबंधी घोषणा पत्र योगदान करने के समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे।**

6. नवनियुक्त अधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्राप्त करने/योगदान देने हेतु पदस्थापित स्थान पर आने–जाने के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(192)

7. वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं0–1964, दिनांक–21.08.2005 एवं पत्रांक–76 पे0को0, दिनांक–03.07.2007 के आलोक में सभी नव नियुक्त पदाधिकारी नई अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित होंगे।

8. वैसे नवनियुक्त अधिकारी जो पूर्व में किसी नियोक्ता के अन्तर्गत सेवारत हैं, योगदान के समय विरमन पत्र (Relieving Letter) प्रस्तुत करेंगे। अन्य सेवा से त्याग पत्र देने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा त्याग पत्र स्वीकृति से संबंधित पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा।

9. नियुक्ति–सह–पदस्थापन के प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

27/9/25
(अनिल कुमार पाण्डेय)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः–03/स्था0रा0से0(नियुक्ति/पदस्थापन–69वीं)–172/2024– 908 (3)/रा0, पटना–15, दिनांक– 27.09.2025

प्रतिलिपि–प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को (सी0डी0 सहित) सूचनार्थ एवं बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

27/9/25
(अनिल कुमार पाण्डेय)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः–03/स्था0रा0से0(नियुक्ति/पदस्थापन–69वीं)–172/2024– 908 (3)/रा0, पटना–15, दिनांक– 27.09.2025

प्रतिलिपि :–महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/9/25
(अनिल कुमार पाण्डेय)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः–03/स्था0रा0से0(नियुक्ति/पदस्थापन–69वीं)–172/2024– 908 (3)/रा0, पटना–15, दिनांक– 27.09.2025

प्रतिलिपि–उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/उप मुख्यमंत्री कोषांग, बिहार, पटना/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/ विकास आयुक्त के आप्त सचिव, बिहार, पटना/ महाधिवक्ता, बिहार, पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग/सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/9/25
(अनिल कुमार पाण्डेय)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः–03/स्था0रा0से0(नियुक्ति/पदस्थापन–69वीं)–172/2024– 908 (3)/रा0, पटना–15, दिनांक– 27.09.2025

प्रतिलिपि– महानिदेशक, बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान, वाल्मी परिसर, फुलवारीशरीफ, पटना एवं अपर महानिदेशक, बिपार्ड, गया को सूचनार्थ प्रेषित।

27/9/25
(अनिल कुमार पाण्डेय)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांकः–03/स्था0रा0से0(नियुक्ति/पदस्थापन–69वीं)–172/2024– 908 (3)/रा0, पटना–15, दिनांक– 27.09.2025

प्रतिलिपि–माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभग को सूचनार्थ प्रेषित।

27/9/25
(अनिल कुमार पाण्डेय)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांकः–03/स्था0रा0से0(नियुक्ति/पदस्थापन–69वीं)–172/2024– 908 (3)/रा0, पटना–15, दिनांक– 27.09.2025

प्रतिलिपि–आई0टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को सभी संबंधितों को ई–मेल के माध्यम से उपलब्ध कराने एवं विभागीय वेब–साईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

27/9/25
(अनिल कुमार पाण्डेय)
सरकार के संयुक्त सचिव